

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2022-अग्रहायण 25, शक 1944

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग (खुडैल),
इन्दौर, मध्यप्रदेश

सूचना-पत्र

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत आवेदक किशोर दांगी पिता आशाराम कार्यालय पता-ग्राम सिंधीबरोदा इंदौर द्वारा "दांगी समाज सामाजिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट इंदौर का म.प्र. का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट कानाम :-	"दांगी समाज सामाजिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट" कार्यालय पता ग्राम सिंधीबरोदा इंदौर
पता :-	कार्यालय पता ग्राम सिंधीबरोदा इंदौर
चल-अचलसंपत्ति :-	चल-अचल संपत्ति निरंक है।

आज दिनांक / / 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

विजय कुमार मण्डलोई, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-2143)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर

प्र. क्र. 03-बी-113(1)-22-23

-:नियम चार:-

(नियम 4 (1) देखिये)

सूचना पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 की 30) की धारा 4 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1952 का नियम 4 (1) देखिये

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर के समक्ष

श्री रामजानकी मंदिर ट्रस्ट सेमलियाहीरा तह. दलौदा द्वारा मुख्य न्यासधारी अध्यक्ष जालमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह पंवार ग्राम सेमलियाहीरा

चूंकि श्री रामजानकी मंदिर ट्रस्ट सेमलियाहीरा तह. दलौदा द्वारा मुख्य न्यासधारी अध्यक्ष जालमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह पंवार ग्राम सेमलियाहीराने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) धारा -4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12/12/22 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः बिहारी सिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर का लोक न्यासो का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक, 12/12/22 को उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित लांच करना प्रस्तावित करता हूं। अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करे और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि दो समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

संपत्ति का विवरण

- (अ) अचल संपत्ति - निरंक
(ब) चल संपत्ति - निरंक

(G-2144)

प्र. क्र. 05-बी-113(1)-22-23

-:नियम चार:-

(नियम ५ (१) देखिये)

सूचना पत्र

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम १९५१ (१९५१ की ३०) की धारा ५ की उपधारा (२) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, १९६२ का नियम ५ (१) देखिये

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर के समक्ष

श्री मगरा माताजी सेवा ट्रस्ट आकोदडा अध्यक्ष सज्जनलाल पाटीदार पिता उदेलाल पाटीदार

चूकि श्री मगरा माताजी सेवा ट्रस्ट आकोदडा अध्यक्ष सज्जनलाल पाटीदार पिता उदेलाल पाटीदार ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ३०) धारा -४ के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12/12/22 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है।

अतः बिहारी सिंह पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर जिला मंदसौर का लोक न्यासो का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक, 12/12/22 को उक्त अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के द्वारा अपेक्षित लांच करना प्रस्तावित करता हूं। अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियो में लिखित कथन प्रस्तुत करे और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि दो समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियो का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा।

संपत्ति का विवरण

- (अ) अचल संपत्ति - निरंक
(ब) चल संपत्ति - निरंक

बिहारी सिंह, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-2145)

न्यायालय, कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 0001-ब-113-2022-23-11249

भिण्ड, दिनांक 28 नवम्बर 2022

फार्म - 4

(मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(1) के अन्तर्गत)

जैसा कि आवेदक श्री शाह अनुराग जैन अध्यक्ष एवं न्यास निर्माता द्वारा पन्नालाल- अयोध्या प्रसाद धर्मशाला ट्रस्ट सदर बाजार भिण्ड के नाम से ट्रस्ट गठन किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय सहपत्रों के प्रस्तुत किया गया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 27-12-2022 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, उपर्युक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

-अनुसूची-

1-	ट्रस्ट का नाम -	पन्नालाल - अयोध्या प्रसाद धर्मशाला ट्रस्ट स्थित सदर बाजार भिण्ड
2-	चल सम्पत्ति -	कुछ नहीं
3-	अचल सम्पत्ति -	सदर बाजार फ्री गंज भिण्ड स्थित भवन 50 फीट 9 इंच चौड़ा पूर्व से, पश्चिम 120 फीट लम्बा, उत्तर से दक्षिण जिसमें पांच दुकानें सदर बाजार की ओर बनी हैं व बीच में ऊपर जाने का जीना बना है व अन्दर के भाग में कमरे आदि बने हैं व बाड़ा है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य पचास लाख रूपया है।

(G-2146)

प्र. क्र. 0001-ब-113-2022-23-11248

फार्म - 4

(मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(1) के अन्तर्गत)

जैसा कि आवेदक श्री नरोत्तम सिंह नरवरिया निवासी भिण्ड द्वारा (महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी राजपूत छात्रावास न्यास) स्थित भीम नगर भिण्ड के नाम से ट्रस्ट गठन किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय सहपत्रों के प्रस्तुत किया गया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 27.12.2022 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, उपर्युक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

-अनुसूची-

1-	ट्रस्ट का नाम -	"महारानी वीरांगना अवंती बाई लोधी राजपूत छात्रावास न्यास" भीमनगर भिण्ड
2-	चल सम्पत्ति -	1,21,000/- रूपये अध्यक्ष के नाम से संयुक्त खाते में जमा
3-	अचल सम्पत्ति -	भीमनगर भिण्ड में स्थित छात्रावास जिसमें 01 हाल, 04 कक्ष, लेट-बाथ, 11 दुकानें

सतीश कुमार एस., कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार.

(G-2147)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, परगना-गुना

प्र. क्र. 01-बी-113-20-21

गुना, दिनांक 30 नवम्बर 2022

प्रारूप क्र.-4

[देखिए नियम-7(1)]

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा,

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, परगना गुना, जिला गुना के समक्ष,

यतः कि न्यासधारी अध्यक्ष श्री बसंतसिंह रघुवंशी पुत्र श्री किशनसिंह रघुवंशी अवानिवृत्त आर ए ई ओ निवासी अन्नपूर्णा कालोनी गुना द्वारा " श्रीराम धर्मार्थ रघुवंशी न्यास गुना " मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा -4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद् द्वारा यह सूचना दिया यजाता है कि कथित आवेदन नं. 22/12/2022 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्तियां सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त आवेदन के अक्सान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता	:	" श्रीराम धर्मार्थ रघुवंशी न्यास गुना "
चल सम्पत्ति	:	- 150000.00 (एक लाख पचास हजार रूप्ये)
अचल सम्पत्ति	:	-

वीरेन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-2148)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मल्हारगढ,
जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 03-बी-113(1)-22-23

मल्हारगढ, दिनांक 30 नवम्बर 2022

—:सूचना-पत्र:-

:म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-5(2) लोक न्यास नियम 1962नियम-5(1):

पंजीयक लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड मल्हारगढ, जिला मन्दसौर के समक्ष आवेदक अरविन्द पिता सुजानमल बोथरा निवासी साकेत नगर मन्दसौर अध्यक्ष "जयानन्द जीवदया सेवा संस्थान ट्रस्ट बही तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर म0प्र0" द्वारा आवेदन पेश किया गया ।

मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है,

अब इसलिए, मैं मुकेश शर्मा लोक न्यास का पंजीयक उपखण्ड मल्हारगढ जिला मन्दसौर मेरे न्यायालय में पेशी दिनांक 20/01/2023 को उपखण्ड मल्हारगढ पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची:-

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम:- "जयानन्द जीवदया सेवा संस्थान ट्रस्ट बही तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर म0प्र0"

ट्रस्ट का कार्यालय:- कुशल सुरी दादावाडी बही तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर है।

सम्पत्ति का विवरण:- ट्रस्ट की सभी चल सम्पत्तिया ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में है जो निम्न प्रकार है:-

1- ट्रस्ट की चल सम्पत्ति:-

1. बैंक अकाउन्ट में जमा राशि 2,81,774 / -रु,
2. एफ0डी0 5,03,888 / -रु, 1,92,358 / -रु, 3,05,983 / - जमा है।
3. वर्तमान में ट्रस्ट के पास कुल राशि 12,96,103 / -रु है।

2- ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति:- निरंक

मुकेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-2149)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास पंजीयक, राहतगढ, जिला सागर

क्र. 11211-रीडर-अ.वि.अ.-2022-23

मौजा :- राहतगढ

क्रमांक :-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश जैन आत्मज प्रेमचंद जैन निवासी वार्ड क्रमांक 03 सुभाष चंद्र बोस वार्ड तहसील राहतगढ, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन ट्रस्ट वार्ड क्रमांक 02 राहतगढ जिला सागर द्वारा नियम 4 (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर श्री 1008 पार्श्वनाथ

दिगम्बर जैन ट्रस्ट वार्ड क्रमांक 02 राहतगढ़ जिला सागर के पंजीयन हेतु निवेदन किया है जिसके कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम, पते निम्नानुसार है :-

1. श्री राजेश जैन पिता प्रेमचंद जैन, वार्ड नं. 03 सुभाषचंद्र बोस वार्ड, राहतगढ़ जिला सागर – अध्यक्ष
2. श्री संजय जैन पिता संतोष कुमार जैन, जवाहरलाल नेहरू, वार्ड नं 2, राहतगढ़, जिला सागर – उपाध्यक्ष
3. श्री रूपचंद जैन पिता उत्तमचंद जैन, वार्ड 04, मेन रोड बस स्टैंड, राहतगढ़, जिला सागर – उपाध्यक्ष
4. श्री संजय जैन पिता बाबूलाल, वार्ड नं. 03 सुभाषचंद्र बोस वार्ड, राहतगढ़, जिला सागर – कोषाध्यक्ष
5. श्री नवीन जैन पिता शिखरचंद जैन, वार्ड नं. 03 सुभाषचंद्र बोस वार्ड, राहतगढ़ – सह कोषाध्यक्ष
6. श्री प्रदीप जैन पिता दयाचंद जैन, 237/1, वार्ड नं. 03 सुभाषचंद्र बोस वार्ड, राहतगढ़ – महामंत्री
7. श्री अर्पित जैन पिता अशोक कुमार जैन, वार्ड 14 राहतगढ़, जिला सागर – मंत्री

न्यास के पदाधिकारियों का निर्वाचन कुल न्यासियों के बहुमत के आधार पर किया जायेगा, न्यास का नाम, पता एवं संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

लोक न्यास का नाम :- श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट ।

पता :- वार्ड क्रमांक 02 राहतगढ़ जि. सागर, म.प्र. पिनकोड – 470119

चल संपत्ति :-

1. नगदी - 983590/- (अंकन नौ लाख तेरासी हजार पाँच सौ नब्बे रुपये)
2. चांदी – 77 किलो 800 ग्राम (छत्र, चमर, सिंगासन, भामंडल, पूनज के वर्तन, विमान आदि)
3. सोना – 02 किलो 400 ग्राम (छत्र, चमर, सिंगासन, पूजन के वर्तन आदि)
4. सभी मंदिरों के पूजन के वर्तन आदि
5. सभी मंदिरों के फर्नीचर एवं अन्य सामग्री
6. प्रतिमा जी पाषाण 35, धातु 197

अचल संपत्ति (क) :-

1. ग्राम लचक्याई प.ह.नं. 16 तह. राहतगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 53, 79, 118, 152 रकवा क्रमशः 0.35, 1.74, 0.13, 0.51 हे. कुल रकवा 2.73 हे. भूमि स्वामी (श्री जैन मंदिर राहतगढ़ मुह. हीरालाल सा. राहतगढ़) के नाम दर्ज है ।
2. ग्राम चंदनहारी प.ह.नं. 23 तह. राहतगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 292, 335, 339, 397 रकवा क्रमशः 0.34, 0.48, 0.42, 0.23 हे. (श्रीदेव पारसनाथ जी मंदिर हिनौतियाकलों मुह. हीरालाल वल्द मुन्तालाल प्रबंधक कलेक्टर सागर) के नाम दर्ज है ।
3. ग्राम परासरीकलों प.ह.नं. 24 तह. राहतगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर 19, 110, 115, 273, 276, 298 रकवा क्रमशः 0.78, 1.52, 3.98, 0.10, 0.83, 0.94 हे. (श्री मंदिर पारसनाथ जी मीजा हिनौतियाकलों मुह. हीरालाल, प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर) के नाम दर्ज है ।
4. श्री 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर वार्ड नं. 07 राहतगढ़ (बड़ा मंदिर परिसर)
5. श्री 1008 चंदा प्रभु दिगम्बर जैन मंदिर वार्ड नं. 06 राहतगढ़ (बीच का बगीचा)
6. श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर वार्ड नं. 04 राहतगढ़ (गंज का संपत्ति)

7. श्री गुरुचरण धाम धर्मशाला वार्ड क्रमांक 02, राहतगढ़

8. आवासीय भवन वार्ड नं. 06 भवन 15X60

9. आवासीय भू-खंड वार्ड नंबर 07 राहतगढ़ (आबादी में रिक्त प्लॉट लगभग 5000 वर्गफुट)

अतः उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा अथवा आपत्ति हो, तो वह दिनांक 26/12/2022 तक इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद म्याद के किसी भी प्रकार की दावा अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

पेशी दिनांक :- 26/12/2022

जारी दिनांक :- 21/11/2022

देवेन्द्र प्रताप सिंह, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक (रा.).

(G-2150)

अन्य सूचनाएं

उप. अंकेक्षक एवं परिसमापक, दुग्ध उत्पादक, सहकारी संस्था मर्या., हाजीपुर, जिला सीहोर

क्र. परिसमापक-2022-क्यू

सीहोर, दिनांक 11 नवम्बर 2022

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

उप पंजीयक सहकारी समितियां जिला सीहोर द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रं	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. हाजीपुर तह. जावर जिला सीहोर	1554/09.09.2011	1193/02.11.2022

सहकारी अधिनियम की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं अतः म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ पुराना जिला पंचायत कार्यालय लुनिया चौराहा सीहोर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयवधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये जावेगा।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शायी गयी लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शुन्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 11/11/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

डी. के. आर्य, उप. अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(G-2151)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2022-अग्रहायण 25, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)